# नेशनल केयर स्टैंडईज

HINDI

**Housing for Older People Newsletter**

हाउसिंग फॉर ओल्डर पीपल न्यूज़लैटर

छट्ठा संस्करण

जुलाई 2003

नैशनल केयर स्टैंडर्ज़

अन्दर......

केयर कमीशन के बारे में

विडियो उद्‌घाटन

पैंशन क्रेडिट

**केयर स्टैंडर्ज़ और स्पॉन्सरशिप ब्रांच**

**की तरफ से एक संदेश**

**स्कॉटिश एक्ज़ैक्टिव हैल्थ डिपार्टमैंट**

रेग्यूलेशन ऑफ केयर (स्कॉटलैंड) एक्ट 2001 ने स्कॉटिश कमीशन फौर, रेग्यूलेशन ऑफ केयर (केयर कमीशन) की स्थापना करी और इसे यह जिम्मेदारी के साथ करता है. कि यह नये नियमों के कार्यकारी ढाँचे को. सारे स्कॉटलैंड की केयर सेवाओं को प्रदान करे ।

इस एक्ट की ज़रुरत के अनुसार. स्कॉटिश मंत्रियों को एक ऐसे राष्ट्रिय केयर माप-दंड़ों को तैयार करने और प्रकाशित करने को कहा गया जो कि एक्ट के अंतर्गत बताये गये केयर कमीशन के द्वारा नियमित बहुत सारी केयर सेवाओं को देखता है । नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ कमेटी (NCSC) को मंत्रियों द्वारा इस लिए स्थापित किया गया था. ताकि वह बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के स्टेकहोल्डर्ज़ के साथ. जिसमें कि सेवा उपभोगता भी शामिल हैं. सलाहमशवरा करके इन मापदंड़ों का विकास कर सकें ।

अन्य प्रकार के ग्राहकों के समूहों के साथ सलाहमशवरा करते हुए. अबतक मापदंड़ों के उन्नीस सैट प्रकाशित किये जा चुके हैं । इसमें एक सैट वह भी शामिल है जो कि आवासिय सहारा देने वाली सेवाओं से सम्बंधित है (जिसकी परिभाषा में यह सेवायें शामिल हैं. जैसे कि शैल्टर्ड हाउसिंग और बेघरवारों के लिए होस्टल जैसी सेवाए भी शामिल है )।

नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ उन सिद्धांतों के सेट पर आधारित हैं. जो कि उन जानेमाने अधिकारों को दर्शाते हैं. जिनका कि आप एक नागरिक के रुप में आंनद उठाते हैं । इन सिद्धांतों में आत्मसम्मान. एकांतवास. पंसद और समानता और विभिन्नता शामिल हैं । यह सारे मापदंड एक ऐसे आम व्यक्ति के दृश्टीकोण से लिखे गये हैं जो कि इन सेवाओं का उपभोग करता है और इस सेवा के उपयोग में लाने के दौरान वह व्यक्ति किस-किस स्थिती से गुज़रता है. उस यात्रा का अनुकरण करता है । वह व्यक्ति जो कि अब इन सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, या जो भविष्य में इन केयर सेवाओं का उपभोग करने के बारे में सोच रहे हैं. वह इन मापदंड़ों को काफी उपयोगी संदर्भ पायेंगें । यह लोगो को किसी तरह का निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं । अगर कुछ गल्त हो जाता है. तो यह मापदंड इस बारे में बतातें हैं कि किस प्रकार से चिन्ता जताई जाए या किस प्रकार से शिकायत की जाए ।

नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ की लीपियाँ. मुख्य पुस्तकाल्यों में. या सेवा प्रदानकर्ताओं से उपलब्द्ध हैं, और आनलाइन यह www.scotland.gov.uk/standardandsponsorship मे उपलद्ध हैं । इनको इस पते से भी प्राप्त किया जा सकता है:

The Stationery Office<br>
71 Lothian Road<br>
Edinburgh EH3 9AZ<br>
Tel: 0870 606 5566<br>
कीमत £5.00 प्रतिलीपी

केयर सेवाओं को लागू या नियमित करने की जिम्मेदारी केयर कमीशन की है । जब यह अपनी भूमिका निभा रहा हो तो उस समय इसे नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ का ध्यान रखना होगा । यह केयर सेवाओं के बारे में की गई शिकायतों से निबटता है ।

1 अप्रैल 2003 से. आवासिय सहारा देने वाली सेवाओं. केयर कमीशन के साथ पंजीकृत होने और उनके नियमों के अनुसार चलने की ज़रुरत होगी ।

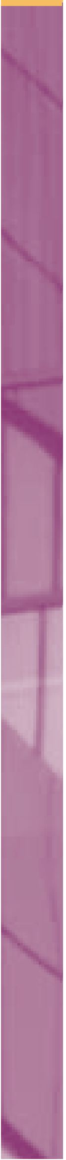

KIRK care HOUSING

HANOVER SCOTLAND

BIELD INDEPENDENCE FOR OLDER PEOPLE

This Newsletter is also available in Chinese, Punjabi, Urdu and Hindi.

## केयर कमीशन और नेशनल केयर स्टैंडर्ज़

केयर कमीशन को अप्रैल 2002 में, एक्ट ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया गया था । यह एक राष्ट्रीय स्तर की जानीमानी संस्था है, जो कि स्कॉटलैंड में अपनी केयर सेवाओं को लागू करने के प्रति उत्तरदायी है ।

### केयर कमीशन क्या करता है?

कानून के तहत कि केयर कमीशन को पंजीकृत होना चाहिए और उसको स्कॉटलैंड की केयर सेवाओं का निरीक्षण करना चाहिए, जिसमें यह भी शामिल हैं:

केयर होम

चाईल्डमाईंडर्ज़

डे सैन्टर्ज़ और अन्य ऐसी सेवायें, जो कि व्यक्तियों को अपने आवासों में रहने की अनुमती देती हैं ।

केयर कमीशन यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है, कि वह व्यक्ति जो कि केयर सेवाओं का उपयोग करते हैं, वह सुरक्षित और अभिरक्षित होने चाहियें, और वह जिन सेवाओं का प्रयोग करते हैं वह कानूनों और नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ (मापदंडों) को पूरा करती हुई होनी चाहियें । हम इसको इन सेवाओं का निरीक्षण करके सुनिश्चित करते हैं ।

### ईसका आप पर क्या असर है ?

नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ सभी व्यक्तियों को यह बताता है कि, जब आप किसी सेवा को प्रयोग करते हैं तो क्या होगा । इन मापदंडों का उद्देश्य, आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में सुधार लाकर आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, चाहे आप स्कॉटलैंड में कहीं पर भी रहते हों ।

एक बार जब कोई सेवा केयर कमीशन के पास पंजीकृत हो जाती है, तब हम उसे एक प्रमाणपत्र देते हैं । आप इस प्रमाणपत्र को अपने द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवा में देख सकते हैं । तब हम उस सेवा का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करते हैं, कि वह कानून और नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ को पूरा करती हुई हों ।

आप भी निरीक्षण में हिस्सा ले सकते हैं । जब केयर कमीशन के ऑफिसर आपकी सेवा का निरीक्षण करते हैं, तो उस समय आपसे कुछ जानना चाहेंगे, उदाहरण के लिए, उन व्यक्तियों के समूह से मिलकर जो कि आपकी सेवा का प्रयोग करते हैं या आपसे एक प्रश्नावली को भरने के लिए पूछेंगे । जब निरीक्षण समाप्त हो जाता है, तब हम उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखेंगे और आप अपने सेवा-प्रदानकर्त्ता से पूछ कर, उसकी कॉपी को देख सकते हैं । यह रिपोर्ट आपको बतायेगी कि, निरीक्षण किस प्रकार से हुआ, सेवा के बारे में क्या अच्छाईयां हैं और कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि सुधार की ज़रूरत है ।

केयर कमीशन हमेशा आपकी चिन्ताओं को सुनेगी । अगर आपको केयर सेवा के बारे में कोई चिन्ता है, तो आप इसकी शिकायत अपने सेवा-प्रदानकर्त्ता से कर सकते हैं । या शिकायत करने के लिए आप केयर कमीशन से सम्पर्क कर सकते हैं, और हम आपके लिए इसकी जाँच करेंगे ।

### अगर अपको प्राप्त होने वाली सेवा बेकार है तो केयर कमीशन क्या कर सकती है?

केयर कमीशन के पास कानूनी ताकत है, जो कि यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकती हैं, कि अगर कोई समस्या या कठिनाई है तो सेवा-प्रदानकर्त्ता अपनी सेवा में परिवर्तन ला सकते हैं । उसके बाद केयर कमीशन यह सुनिश्चित करने के लिए उस सेवा की जाँच करेगा, कि परिवर्तन कर दिये गये हैं । केयर कमीशन इस बारे में भी सुझाव दे सकता है कि, सेवा और अच्छे आचरणों के बारे में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है ।

केयर कमीशन और नेशनल केयर स्टैंडर्ज़ के कार्यों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का है कि उन सभी व्यक्तियों के लिए सेवा को और बेहतर बनाया जाए जो कि इसका प्रयोग करते हैं ।

आप हमारे वैबसाईट www.carecommission.com को देख सकते हैं, या आप इस पत्रक की कॉपी प्राप्त करने या अपने सथानीय दफतर के बारे जानने के लिए इस नम्बर 08456030890 पर फोन कर सकते हैं ।

## विडियो का उदघाटन या लाउंच

कर्क केयर, हैनोवर (स्कॉटलैंड) और बिल्ड हाउसिंग असोसियेशनों ने, काले तथा अल्पसंख्यक समुदायों के वृद्ध व्यक्तियों की अपनी हाउसिंग और सहारा देने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए, 23 मिनट के एक विडियो की रचना की है ।

यह विडियो शेल्टर्ड हाउसिंग के लाभों के बारे में बताता है, जैसे कि स्थानीय स्टॉफ के द्वारा सहायता, सारे घर की हीटिंग, वृद्ध व्यक्तियों की ज़रुरतों को पूरा करते हुए बनाये गये विशेष प्रकार का सुविधाऐ, आस-पास की सुविधायें, मित्रता, अलग अलग भाषाओं की दिवार से बाहर आना, आम सहारा और स्वतंत्रता । इन सभी बातों के बारे में इस विडियो में बहुत स्पष्ट रुप से बताया गया है ।

काले तथा अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से भाग लेने वाले स्पर्धियों, जो कि पहले से ही शैल्टर्ड हाउसिंग में रह रहे हैं, ने बताया कि उस समय से उनके जीवन में किस प्रकार से बेहतर बदलाव आया है, जब से वह शेल्टर्ड हाउसिंग में रहने के लिए आये है, जिसने कि उन्हें बहुत सुरक्षा और संतुष्टी मिली है ।

इस विडियो को एक जानी मानी फिल्मी और दूरदर्शन की हस्ती, सैयद जाफरी द्वारा बताया गया है, और इसका उत्पादन VHS और DVD के प्रारुपों में अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली और चीनी भाषा में किया गया है ।

यदी आपको इस विडियो या डी वी डी की एक कॉपी चाहिए, तो कृप्या रोहिनी को इस न्मबर 0131-225-7246 पर सम्पर्क करें ।

(विडियो के चित्रों को उदघाटन ऐडिनबरा और गलास्गो में किया गया है)

# पेंशन क्रेडिट क्या है?

60 या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन क्रेडिट एक नया भत्ता या इनाम है. जिसको अक्टूबर 2003 से लागू किया जायेगा । इससे हर हफते आपको कुछ अतिरिक्त पैसा मिल सकेगा । यह दावे से उन सभी व्यक्तियों को मिलेगा. जिनकी आयु 60 या इससे अधिक है. और जिनकी आय है कम से कम :

- £102.10 प्रति सप्ताह. अगर आप अकेले हैं: या
- £155.80 प्रति सप्ताह. अगर आपका पार्टनर है ।

यह अतिरिक्त पैसा उन व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है. जो कि अटेंडेन्स अलाउंस. डिसेबिलटी लीविंग अलाउंस (केयर) और / या केयरर्ज़ प्रीमियम ले रहे हैं । (थोडा सा पेचीदा लग रहा है इसलए सलाह प्राप्त करें)

पहली बार. 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों से उनकी कुछ बचत राशियों और उस आय में से कोई जुर्माना नही लिया जायेगा. जो कि उन्होंने अपनी सेवानिवृति के लिए बचा कर रखें हैं । इससे पहले. ऐसा होता था. कि जो व्यक्ति अपने लिए कुछ पैसा बचा सके थे. उनकी भी स्थिति उन व्यक्ति से कोई ज्यादा बेहतर नही थी जिन्होंने कुछ भी बचत नही की थी । पेंशन क्रेडिट इसमें उन व्यक्तियों को पैसा देकर इसमें परिवर्तन लायेगी. जिन्होंने पहले से बचत कर रखी है ।

इसका मतलब यह हो सकता है:

- £14.79 प्रति सप्ताह अतिरिक्त पैसा. अगर आप अकेले हैं: या
- £19.20 प्रति सप्ताह अतिरक्त पैसा. अगर आपका कोई पार्टनर है ।

आपको अभी कुछ करने की ज़रुरत नही है । पेंशन सर्विस उन सभी पेंशन लेने वालों से. अप्रैल 2003 और जून 2004 के बीच में उन्हें पेंशन क्रेडिट के तथ्य बताने के लिए. उनके घरों मे सम्पर्क करेगी । यह डाक का पुलिंदा व्यक्तिविशेष की परिस्थितियों के अनुसार बना हुआ होगा. और इससे आवेदन करने के लिए सूचना भी मिलेगी । ज़रुरत होने पर दुभाषिये की सेवा भी प्रदान की जायेगी ।

यह कर्क केयर. हैनोवर (स्कॉटलैड) और बेल्ड हाउसिंग असोसियेशन्ज़ का संयुक्त प्रकाशन है । यदि आप समुदायों को किसी घटना या अपने प्रोजैक्ट के बारे में बताना चाहे. और इसे इस न्यूज़लैटर में इसका विज्ञापन देना चाहें. तो कृप्या लिखें या फोन करें:

Rohini Sharma
Housing Equal Opportunities Officer
Kirk Care Housing Association Ltd
9 Albyn Place
Edinburgh, EH2 4NG
Tel: 0131 225 7246
Email: rsharma@kirkcare.co.uk

## ओपन सर्जरीज़

*इन हाऊसिंग असोसिशन्स के अन्दर, हाउसिंग फ़ॉर ओल्डर पीपल और नौकरी के अवसरों के बारे में सलाह और सूचना का दिया जाना, हमारी ओपन सर्जरियों में दी जाती है । अगर आप इस ओपन सर्जरी को अपनी संस्था में करवाना चाहते हैं, तो इसके होने की समय, तारीख और जगह का प्रबन्ध करने के लिए, कृप्या रोहिनी से सम्पर्क करें।*

## थिसल ट्रैवल कार्ड

थिसल ट्रैवल कार्ड यात्रा करने की एक नई योजना है. जो कि आपकी सार्वजनिक यातायाता का प्रयोग करने में सहायता करेगी है । अगर आपको अपनी आयु. अपाहिजता. बिमारी या केवल आत्मविशवास की कमी के कारण. सार्वजनिक यातायाता का प्रयोग करने में कठिनाई होती है. तो आप इस कार्ड को अपने साथ रख सकते हैं । यह आपको बस. ट्रेन या टैक्सी की सेवाओं का प्रयोग में लाने को आसान बना देगा ।

जब आप कार्ड परिवहन स्टॉफ को दिखायेंगे तो वह पहचान लेंगे कि आपको अपनी यात्रा करने में अतिरिक्त सहायता की ज़रुरत हो सकती है ।

यह कार्ड परिवहन बुकिंग ऑफिसों. डे सैन्टर्ज़ और अन्य स्थानों से मिल सकता है ।

थिसल ट्रैवल कार्ड स्कीम को स्कॉटिश एक्जैक्टिव और ट्रांसपोर्ट कंम्पनियों की मदद है ।

**EDINBURGH**
Kirk Care Housing Association Limited,
3 Forres Street Edinburgh EH3 6BJ
Tel 0131 225 7246
Hanover (Scotland) Housing Association Limited, 36 Albany Street,
Edinburgh EH1 3QH
Tel: 0131 557 0598
Bield Housing Association Limited,
22 Windsor Street, Edinburgh EH7 5JR
Tel: 0131 273 4000

**GLASGOW**
Kirk Care Housing Association Limited,
25 Park Circus, Glasgow G3 6AP
Tel: 0141 341 3200
Hanover (Scotland) Housing Association Limited, 5 Newton Place,
Glasgow G3 7PR
Tel: 0141 353 1353
Bield Housing Association Limited,
12 Somerset Place, Glasgow G3 7JT
Tel: 0141 270 7200